न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 440/23 (धारा 75 भू–राज0अधि1956) (RCMS No.2023/468)

1. ध्यानदास पुत्र हंसा
2. बाबूलाल पुत्र हंसा
3. जगन्नाथी पत्नी हंसा
4. कन्हैया पुत्र चतरू

समस्त जातियान मीणा निवासीयान रामडी तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. हनुमान पुत्र नानगा
2. लखत पुत्र नानगा
3. धापू पत्नी नानगा

जातियान कुम्हार निवासीयान रामडी तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।

..... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर दिनांक 15.12.2022 व सिलसिले प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स प्रकरण संख्या 40/21 ध्यानचंद बनाम हनुमान।

उपस्थितिः–

1. श्री राधेश्याम वैष्णव वकील अपीलान्टस।
2. श्री जगदीश शर्मा वकील रैस्पोडेन्टस।

निर्णय

दिनांकः– 22.08.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 15.12.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 101 के अधीन अनाधिवासित भूमियों के कृषि प्रयोजनार्थ रैस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 के पिता व रैस्पोडेन्ट संख्या 3 के पति नानगा पुत्र जनसी जाति कुम्हार निवासी रामडी तहसील सवाईमाधोपुर के हक में आवंटन सलाहकार समिति सवाईमाधोपुर की सिफारिश पर उपखण्डाधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा खसरा नम्बर 7/1/6 रकबा 5 बीघा किस्म चारागाह भूमि वाकै ग्राम रामडी का दिनांक 06.11.1975 को आवंटन आदेश जारी किया गया। इस आदेश को विधि विरूद्ध बताते हुये अपीलान्ट ने राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ, भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र तहत अदालत जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष पेश किया गया। जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण में बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2022 पारित कर प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज करते हुये अपीलाधीन आदेश में यह विवेचना की गई कि ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा सबूत प्रार्थी ध्यानचंद की ओर से पेश नहीं किया। जिससे नानगा के हक में आवंटन को निरस्त

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

किया जा सके और बाद परीक्षण आवंटन आदेश में कोई विधिक त्रुटी नहीं पायी गई। न्यायालय के समक्ष यह तथ्य लाया गया कि उक्त आवंटित भूमि के हाल खसरा नम्बर 27, 28, 29, 30, 31, 32 बने है जिसमें से खसरा नमबर 31 रकबा 0.15 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता है तथा उक्त भूमि मौके पर रास्ते के काम आ रही है किन्तु अप्रार्थीगण/नानगा के वारिस उक्त आवंटन की आड में उक्त गै0मु0 रास्ते को अवरूद्ध करते है जिसके संबध में अप्रार्थीगण/नानगा के वारिसान को पाबन्द किया जाता है कि खसरा नम्बर 31 रकबा 0.15 किस्म गै0मु0 रास्ते की भूमि पर आवाजाही एवं भविष्य में सडक निर्माण इत्यादि पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगें। जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के उक्त आदेश दिनांक 15.12.2022 के खिलाफ अपीलान्टस की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2022 रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्टस की ओर से जिला कलक्टर सवाई माधोपुर न्यायालय में राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता तथा रैस्पोडेन्ट संख्या 3 के पति नानगा पुत्र जन्सी कुम्हार के नाम दिनांक 06.11.75 को विवातिद भूमि खसरा नंबर 7/1/6 रकबा 5 बीघा ग्राम रामडी तहसील सवाईमाधोपुर में आवंटन किया गया था। उक्त भूमि की किस्म वक्त आवंटन चारागाह थी, जो कि आवंटन नियमों के अनुसार आवंटन योग्य नहीं थी। विवादित भूमि चारागाह में अंकित होने की पुष्टि जमाबन्दी सम्वत 2031 से 2034 से हो रही थी। रैस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 के पिता व रैस्पोडेन्ट संख्या 3 के पति द्वारा चारागाह में दर्ज भूमि को चुपचाप गोपनीय तरीके से नियमों के विरूद्ध पटवारी हल्का व आवंटन अधिकारी से मिलकर चारागाह में दर्ज भूमि को सिवायचक दर्ज करवाते हुये स्वयं के पक्ष में आवंटन करवाया था, जो कि निरस्तनीय था। इसके अलावा विवादित भूमि के आवंटी नानगा के द्वारा न तो आवंटन के पश्चात प्रथम वर्ष अर्थात वर्ष 1976 में आवंटित भूमि के आधे भाग को काश्त किया गया और न ही द्वितीय वर्ष अर्थात् वर्ष 1977 में शेष रही सम्पूर्ण भूमि को काश्त किया गया। जबकि आवंटन नियमों की शर्तों के अनुसार आवंटन वर्ष से 2 वर्ष की अवधि में आवंटी की ओर से आवंटित भूमि पर काश्त किया जाना आवश्यक था, परन्तु आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई। आवंटी नानगा का आवंटित भूमि पर सन 1975 से लेकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की दिनांक तक भी कब्जाकाश्त नहीं रहा। उक्त तथ्य अपीलान्टस की ओर से अदालत मातहत में पूर्ण रूप से सिद्ध किया गया था। इसके बाबजूद उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर जिला

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुये यह निर्देश दिये हैं कि खसरा नंबर 31 रकबा 0.15 किस्म गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर आवाजाही व भविष्य में सड़क निर्माण इत्यादि पर किसी प्रकार की कोई बाधा रैस्पोडेन्टस द्वारा उत्पन्न नहीं की जायेगी। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित उक्त निर्णय दिनांक 15.12.2022 विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्टस ने यह भी तर्क दिया कि अपीलान्टस की ओर से अदालत मातहत में यह भी स्पष्ट किया गया था कि आवंटी नानगा को आवंटित की गई विवादित भूमि खसरा नम्बर 7/1/6 रकबा 5 बीघा में से हाल खसरा नम्बर 27 रकबा 0.30 है0 पर अपने पूर्वजों के समय से ही अपीलान्टास का 100 वर्षों से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व से ही अपीलान्टस विवादित भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। जिसकी पुष्टि खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2042 में अपीलान्टास के पिता के नाम के अंकन से हो रही है, परंन्तु अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को भी नजरअंदाज करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। रैस्पोडेन्टस की ओर से अदालत मातहत में रामस्वरूप, रामदास, केदार, राधेश्याम, जगराम मीना, केदार पुत्र लटूर आदि के झूठे शपथ पत्र पेश किये गये थे, जिनके द्वारा स्वयं के द्वारा भी राजकीय भूमि अतिक्रमण किया गया था। उक्त शपथ पत्रों को आधार बनाकर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने विधिक प्रावधानों के विपरित जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.12.2022 को पारित किया है, जो कि उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.12.2022 निरस्त किया जावे तथा रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता व रैस्पोडेन्ट संख्या 3 के पति नानगा के पक्ष में दिनांक 06.11.1975 को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्टस द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुये वकील रैस्पोडेन्टस ने तर्क दिया कि जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत हुये राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात का समुचित परीक्षण करने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.12.2022 को पारित किया है। जिसमें कोई अनियमितता नहीं है। वकील अपीलान्टस की ओर से दिया गया यह तर्क कि वक्त आवंटन विवादित भूमि की किस्म चारागाह थी। इसलिये मानने योग्य नहीं है, क्योंकि आवंटन प्रार्थना पत्र के अनुसार विवादित भूमि की किस्म सिवायचक थी। जिसमें रैस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 के पिता व 3 के पति नानगा के अलावा अन्य 10 व्यक्तियों को भी नियमानुसार भूमि आवंटित की गई थी। अपीलान्टस विवादित भूमि पर अनावश्यक रूप से काबिज होना चाह रहे हैं। इसलिये उनके द्वारा आवंटन निरस्त कराये जाने के संबंध में अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। आवंटी नानगा द्वारा खसरा नंबर 7/1/6 में से 5 बीघा भूमि आवंटित किये जाने हेतु आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

उक्त खसरा नंबर की वक्त आवंटन किस्म बारानी दर्ज थी। इस खसरा नंबर में से ही नानगा को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सर्वसम्मति से विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। विवादित भूमि की किस्म नियमानुसार परिवर्तन करने के बाद ही विवादित भूमि को आवंटित किया गया था। अपीलान्टस के द्वारा वर्ष 1975 में किये गये आवंटन को लगभग 46 वर्ष बाद निरस्त किये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। वकील अपीलान्टस की ओर से दिया गया यह तर्क कि आवंटी नानगा द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। इसलिये मानने योग्य नहीं है, क्योंकि अपीलान्ट नानगा की ओर से आवंटन शर्तों की पालना किये जाने के बाद ही विवादित भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकार दिये गये थे। चूंकि नानगा को आवंटित भूमि की तरमीम तत्समय नक्शे में नहीं हो पाई थी। विवादित भूमि के पास ही अपीलान्टस की भूमि स्थित होने के कारण नानगा को आवंटित भूमि को हथियाने की दृष्टि से अपीलान्टस की ओर से अदालत मातहत में अपील पेश की गई थी। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय में स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित किया है कि रैस्पोडेन्टस के पूर्वज नानगा के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार आवंटन किया गया है। अतः अपील अपीलान्टस खारिज की जाकर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 15.12.2022 को यथावत रखा जावे।

अपीलान्टस व रैस्पोडेन्टस के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्टस कीं ओर से रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता व रैस्पोडेन्ट संख्या 3 के पति नानगा को ग्राम रामडी के खसरा नंबर 7/1/6 रकबा 5 बीघा का दिनांक 06.11.1975 को किये गये आवंटन को निरस्त करवाये जाने के संबंध में राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने तथा उनके समक्ष प्रस्तुत हुये राजस्व रिकार्ड का परीक्षण करने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.12.2022 को पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि विद्वान जिला कलक्टर ने अपीलाधीन निर्णय में स्पष्ट रूप से यह माना है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व ग्रामीणों के शपथ पत्रों के अनुसार ग्राम रामडी के खसरा नंबर 7/1/6 रकबा 5 बीघा पर अप्रार्थीगण का कब्जाकाश्त है। आवंटित भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण को प्राप्त हो चुकी है। आवंटन के इतने वर्ष पश्चात केवल मिथ्या कथन एवं छलपूर्वक कराये गये आवंटन को ही खारिज किया जा सकता है। प्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके आधार पर उक्त आवंटन मिथ्या कथन एवं छलपूर्वक कराये गये आवंटन की श्रेणी में आता हो। उक्त निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि नानगा को आवंटित भूमि के हाल खसरा नंबर 27, 28, 29, 30, 31,

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

32 बने हैं। जिनमें से खसरा नंबर 0.15 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता है तथा उक्त भूमि रास्ते के काम में आ रही है, किन्तु अप्रार्थीगण उक्त आवंटन की आड़ में उक्त गैर मुमकिन रास्ते को अवरूद्ध करते हैं, जिसके संबंध में अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना उचित मानते हुये अपीलान्टस/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुये न्यायहित में अप्रार्थीगण/रैस्पोडेन्टस को खसरा नंबर 31 रकबा 0.15 किस्म गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर आवाजाही एवं भविष्य में सड़क निर्माण पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने के संबंध में पाबंद किया गया है, जो कि उचित प्रतीत होता है।

अपीलान्टस की ओर से अदालत मातहत व अदालत हाजा में प्रस्तुत किये गये रिकार्ड से यह साबित है कि वक्त आवंटन नानगा को आवंटित भूमि की किस्म बारानी थी व इसी आशय की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा आवेदन पत्र पर की गई थी एवं आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भी बारानी भूमि का आवंटन ही किया गया है। उक्त भूमि में से नानगा के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी भूमि आवंटित की गई, जिसकी पुष्टि रैस्पोडेन्टस की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात से भलीभांति हो रही है। इसके अलावा यह तथ्य भी प्रमाणित हैं कि नानगा को आवंटित भूमि के संबंध में सैटलमेंट विभाग द्वारा दौरान सैटलमेंट जो नये खसरा नंबर 27, 28, 29, 30, 31 व 32 बनाये गये हैं। उनमें से भी खसरा नंबर 31 को छोड़कर अन्य खसरा नंबरान की किस्म बारानी व चाही दर्ज की गई है। खसरा नंबर 31 जिसकी किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की गई है, के संबंध में जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.12.2022 में रैस्पोडेन्टस को उक्त खसरा नंबर में बंने रास्ते में आवाजाही व सड़क निर्माण इत्यादि पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने के संबंध में पाबंद किया गया है। इस प्रकार जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.12.2022 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण उक्त निर्णय में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टस खारिज की जाकर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 15.12.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 22.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर